# विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

-------

संख्या : 389/वि0स0/संसदीय/17(सं)/2017

लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल, 2019

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा "उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (पन्द्रहवां संस्करण)" के निदेश संख्या-10 में दिनांक 12 मार्च, 2018 को निम्नलिखित रूप में संशोधन कर दिया गया है :-

<u>निदेश संख्या-10 में संशोधन</u>

नियम-301 की सूचनाओं की संख्या

**"जब तक अध्यक्ष अन्यथा विनिश्चय न करें नियम-301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से एक उपवेशन में अधिकतम बीस महत्वपूर्ण सूचनाएं चयनित की जा सकेंगी, जिनमें पांच महत्वपूर्ण ऐसी सूचनाएं चयनित होंगी जो माननीय सदस्यगण अपने विधान सभा क्षेत्र की समस्या के विषय में शीर्षक देंगे, जिस पर पृथक रूप से परीक्षण करके कार्रवाई की जायेगी, जो निदेश संख्या-11 में दी गयी ग्राह्यता की शर्तों को पूरा करती हों।"**

आज्ञा से,

**प्रदीप कुमार दुबे,**
प्रमुख सचिव।

------------

संख्या : 389(1)/वि0स0/संसदीय/17(सं)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के निजी सचिव को माननीय अध्यक्ष की सूचनार्थ,
2-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
3-समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
4-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
5-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी/संसदीय कार्य विभाग,
7-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
8-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, लखनऊ,
9-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
10-उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

**अशोक कुमार,**
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 27 विधान सभा (39)-02-05-2019-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर)।